न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —45/2025 (अपील)

GCMS No.- 2025/60

रामकरण आत्मज माधोलाल निवासी 258—ए, श्रीनाथपुरम कोटा
—अपीलाण्ट.

बनाम

बबलू उर्फ गजानन्द पुत्र रामकरण निवासी 258—ए, श्रीनाथपुरम कोटा राजस्थान
—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 23.10.2024

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री नरेन्द्र नागर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक— 05.08.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलान्ट ने पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.02.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5(1) (क) व (ख) में भरण पोषण के लिए एवं सम्पत्ति से बेदखल करने के लिए प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 3.10.2017 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर सक्षम न्यायालय /पारिवारिक न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिये । जिसकी अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय के अपील प्रकरण संख्या 58/2017 उनवान रामकरण बनाम बबलू उर्फ गजानन्द में दिनांक 23.10.2018 को निर्णय पारित करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की गई, जिसकी अप्रसन्नता में प्रार्थी अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यायालय बैंच जयपुर में सिविल रिट नं0 4537/2019 प्रस्तुत की गई । प्रस्तुत रिट में माननीय उच्च न्यायालय में न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा एवं इस न्यायालय के दोनों निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा को गुण दोष के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल प्रार्थी को सुना जाकर दिनांक 23.10.2024 को निर्णय पारित किया कि—" बाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि मकान की प्रथम मंजिल के रूस पर स्नान नहीं करें एवं कपडे नहीं धोये । प्रार्थी के शांतिपूर्वक निवास में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें । प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा करें ।"
2. उक्त आदेश दिनांक 23.10.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.05.2025 को जरिये अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ पेनल लॉयर के लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ पेश की गई है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की पालना में उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र की पुनः सुनवाई कर दिनांक 23.10.2024 को निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट को पाबंद कर अपीलान्ट के मकान में प्रथम मंजिल की रोंस पर स्नान नहीं करने व कपडे नहीं धोने एवं शांतिपूर्वक निवास

में बाधा नहीं पहुंचाने बाबत पारित किये है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के मकान से रेस्पोडेन्ट को बेदखली व अपीलान्ट को कब्जा दिलाए जाने के आदेश पारित नहीं किए है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 23.10.2024 को अपास्त किया जावें, रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के मकान से बेदखल कर अपीलान्ट को उसके मकान का रिक्त कब्जा दिलाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र नागर का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने स्वयं के आधिपत्य एवं स्वामित्व के मकान से रेस्पोडेन्ट को बेदखल करने बाबत प्रस्तुत किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर गौर किए बिना अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 23.10.2024 को आदेश पारित किए है जो सर्वथा अनुचित है । रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के शांतिपूर्वक उक्त मकान में निवास करने में निरन्तर बाधा पहुंचायी जा रही है एवं जानबूझ कर अपीलान्ट को परेशान करने की नियत से आए दिन लडाई झगडा एवं गाली गलोच कर परेशान किया जा रहा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों पर गौर किए बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया है जो निरस्तनीय है । रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की निरन्तर अवहेलना की जा रही है जिस कारण अपीलान्ट को उक्त आदेश की अपील प्रस्तुत कर रहा है । मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 10.12.2024 को हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा आर्थिक स्थिति सही नहीं होने से राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर को पत्र प्रेषित कर निशुल्क विधिक सहायता चाहने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 9.4.2025 को अपीलान्ट को विधिक सहायता प्रदान की गयी उसके पश्चात यह अपील अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय में पेश की है अपील पेश करने में हुयी डिले सद्भाविक है इसके लिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन पेश किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 23.10.2024 को अपास्त किया जावें, रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के मकान से बेदखल कर अपीलान्ट को उसके मकान का रिक्त कब्जा दिलाया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट ने अंकित मकान का निमार्ण अप्रार्थी द्वारा स्वयं मेहनत मजदूरी करके दो मंजिला बनवाया जिसमें वर्तमान में 6 कमरे व एक दुकान निर्मित है, उक्त 6 कमरों में से मात्र एक कमरे में अप्रार्थी अपने दो बच्चों व पत्नी सहित निवास कर रहा है जबकि प्रार्थी स्वयं व उसकी पत्नी एक कमरे में निवास करते है तथा शेष चार कमरे व एक गोदाम प्रार्थी के द्वारा किराये पर दिये जाकर उक्त कमरों व गोदाम का किराया स्वयं प्रार्थी द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा उक्त मकान में स्थित एक दुकान में प्रार्थी अपीलान्ट स्वयं द्वारा किराने का व्यवसाय किया जाता है । इस प्रकार से प्रार्थी को कुल 18 से 20 हजार रूपये मासिक आय प्राप्त होती है । अप्रार्थी या उसकी पत्नी द्वारा प्रार्थी के साथ कोई गलत व्यवहार लडाई झगडा आदि नहीं किया है, यदि ऐसा कृत्य किया गया होता तो प्रार्थी के द्वारा किसी भी थाने में ऐसा कोई प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्व दर्ज नहीं करवाया गया है इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी या उसकी पत्नी के द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थी अपीलान्ट को प्रताडित नहीं किया जाता है बल्कि प्रार्थी अपीलान्ट स्वयं के द्वारा इस प्रकार के झूंठे प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को मानसिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है । मकान के नल व बिजली की राशि प्रार्थी अपीलान्ट के द्वारा जमा न करवाकर अप्रार्थी की पत्नी द्वारा स्वयं जाकर जमा करवाई जाती है । अप्रार्थी एक मजदूर पेशा व्यक्ति है जो कि शम्भू मिष्ठान भण्डार महावीर नगर तृतीय कोटा पर मात्र 9000/– मासिक भुगतान पर हलवाई का कार्य करता है । जिससे वह अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है तथा प्रार्थी

अपीलांट व अपीलान्ट की पत्नी का भी अपनी आय के अनुसार भरण पोषण करता है । अपीलान्ट के रेस्पोडेन्ट के अलावा एक और पुत्र है जो कि कम्प्यूटर इंजीनियर है जिसकी काफी अच्छी आय है, जिसे इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है तथा उससे भरण पोषण की मांग नहीं की है इस आधार पर भी अपील खारिज योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवालोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.10.2024 के विरूद्व दिनांक 02.05.2025 को पेश की गई है जो निर्धारित मियाद 60 दिवस में प्रस्तुत नहीं है किन्तु विलम्ब के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताये गये कारण विधिक सेवा प्राधिकरण से पेनल लॉयर की नियुक्ति में लगे समय को ध्यान में रखते हुए अपील अन्दर अवधि मानी जाती है । प्रार्थी अपीलांट का मुख्य कथन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनिमय 2007 पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 3.10.2017 को निर्णित कर' अपीलान्ट के मकान का कब्जा व रेस्पेडेन्ट की बेदखली के आदेश नहीं किए थे, उक्त आदेश की अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की किन्तु अपील खारिज होने पर माननीय उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत की गई जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा एसडीओ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के आवेदन में चाहा अया अनुतोष नहीं दिया जाकर केवल अप्रार्थी के मकान की रोंस पर स्नान नहीं करने व कपडे धोने एवं शांतिपूर्वक निवास में बाधा नहीं पहुंचाने बाबत आदेश पारित किया है, अप्रार्थी की बेदखली व अपीलान्ट को कब्जा दिलाए जाने के आदेश पारित नहीं किए है । इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया है कि प्रार्थी अपीलांट के उक्त मकान निर्माण में उनके द्वारा भी रूपये लगाये गये है तथा मकान में कुल 6 कमरे है जिनमें से एक कमरे में ही अप्रार्थी अपने दो बच्चों व पत्नि के साथ निवास करते है तथा एक कमरे में अपीलांट निवास करते है, शेष 4 कमरों को किराये पर दिया जाना बताया है ।

7. प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट केवल रेस्पोडेन्ट की बेदखली एवं मकान के रिक्त हिस्से का कब्जा चाहता है, मकान बड़ा है तथा 6 कमरे बने हुए है । जिसके एक कमरे में ही रेस्पोडेन्ट निवास करता है, तथा 4 कमरे किराये से दिये जाना सामने आया है । रेस्पोडेन्ट को मकान के 'रोंस पर नहीं नाहने एवं कपड़े नहीं धोने तथा अपीलांट के शांतिपूर्वक निवास' में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबन्द किया हुआ है । अपीलांट को भरण पोषण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा अपील में भी भरण पोषण के सम्बन्ध में अनुतोष नहीं चाहा है । अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट एक ही मकान में निवास करते है, अपीलान्ट एवं उनकी पत्नि वृद्व है, वृद्वावस्था में किसी पारिवारिक सदस्य पुत्र आदि का पास में होना आवश्यक है ताकि किसी प्रकार का वृद्वावस्थाजनित बीमारी में देखभाल की जा सकें । अपीलांट द्वारा केवल रेस्पोडेन्ट पुत्र को मकान से बेदखल करना है जो इस अपील के जरिये सम्भव नहीं है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट की बेदखली का चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है ।

8. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.10.2024 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

9. निर्णय आज दिनांक 05.8.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा